

शुशीला कान्ह राकरतन

नाम न्यायालय: कर्मर जिला कलक्टर कोर्ट (बल)

केस नंबर: - 25/2021

26/21

शुशीला राकरतन वकील अपील पेशा 50 /
जिल्हे डर्ज राजिरत (विभागा) रेल्पो की वकील
हे लम्बग गोबी जरी एर पगावली सिगांक
5.5.21 को पेशा हो

5.5.21

पगावली पेशा 50 वकील शुशीला राकरतन रेल्पो को
लगा. उ की कोर्ट से भी अगोड हैनी एड उपलिया
होम जा ही / पेशा होने व कालतनाम सिगांक 13.5.21 को
पेशा हो

Unit
FIC 21403

25
3
अधीन
23

13.5.21

पगावली पेशा 50 को कोरोना काल के लेखन को करते देखते
हुए राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रार कोर्ट को अडिवा करवा
है उक्त कोर्ट से लेखन के कोर्ट कार (ज्यागी-1)
पगावली लार्डिड अडिवा सुल्ल सिगांक 27.5.21 को पेशा हो

27.5.21

पगावली पेशा 50 वकील अपीलान्त उपलिया / रेल्पोडेंट की
कोर्ट से उपलिया होकर एड जार्जना पत्र पेशा 50 जार्जना पत्र
में वारीति किता है (1) नामा न्यायालय लेखा 785 सिगांक 16.8.2002
तथा नामा न्यायालय लेखा 3588 सिगांक 31.3.17 के बाबर एड
अपील 50 सिगांक नारीरको के (2) सिगांक नामा न्यायालय के
अडिवा के विरुद्ध पेश की है जो अपील मेन्टेबल नहीं है
कायनी रूप से एड अडिवा के विरुद्ध एड अपील पेश की जा लगी
है उक्त जार्जना पत्र पेशा होने पर जार्जना पत्र की कल वकील
अपीलान्त को सिगारि गार् जो वकालतनाम एवं जार्जना पत्र लम्बग
पगावली (विभागा) रेल्पोडेंट वकील राकरतन जार्जना पत्र पर
कायनी वकालतनाम उक्त पत्रों की वरत पुनीगार् / रेल्पोडेंट वकील
राकरतन वरत के कायनी वकालत किता है (3) अपीलान्त एड जार्जना
वकील नामा न्यायालय लेखा 785 सिगांक 16.8.2002 तथा नामा
लेखा 3588 सिगांक 31.3.17 वरत एड अडिवा वरत वकील
कोरवली जिला जज को, विरुद्ध अपील पेशा 50 है जो
वरत अपील सिगांक 50 अडिवा व (4) सिगांक नारीरको के
विरुद्ध पेश की है जो कायनी एड अडिवा के विरुद्ध एड -
जिला कलक्टर R.T

प्रादेशिक वन्य राक्षस
 नाम - काली जीवा राक्षस कोकिल

एक अपील पत्र को जा सकता है अपीलान्त द्वारा जो
 विनय लाठीखो की, जो विनय नामांतरकरणों के अंतर्गत
 की एक ही अपील श्रीमान् नामांतर राजा के पेश
 की है जो मेन्टेल नहीं है। राक्षस मजल नामांतर कफने
 द्वारा RBT 371 सुबेदा वगैरे वन्य रेस्पोंडेंट के निर्णय
 दिनांक 3-10-12 के द्वारा अपील मेन्टेल नहीं होने से
 कोकिल के अंतर्गत जाते हुए हैं। अतः उक्त उद्देश्य की
 अपील चलाने योग्य नहीं है तथा उक्त उद्देश्य को
 कोकिल कोकिल नामांतर उक्त उद्देश्य की अपील से
 कोकिल कोकिल।

वही अपीलान्त द्वारा उद्देश्य वक्त में कोकिल
 किताबें कि नामांतर नामांतर मजल नामांतर कफने द्वारा
 जाते अंतर्गत सुबेदा वगैरे वन्य रेस्पोंडेंट के निर्णय
 दिनांक 3-10-12 के द्वारा जो अपील कोकिल की गई है
 जिसमें एक नामांतरकरण विरासत का है तथा दूसरा नामांतरकरण
 विक्रय का है जबकि अपीलान्त द्वारा अपील नामांतर राजा के
 अपील पेश करते हैं वह दो नामांतरकरणों के विनय पेश करते हैं
 जो दो नामांतरकरणों की अपील विरासत के विनय पेश
 करते हैं। अतः नामांतर नामांतर कफने द्वारा उद्देश्य
 जाके वगैरे वन्य रेस्पोंडेंट दिनांक 3-10-12 को जो निर्णय
 जाते अंतर्गत उद्देश्य अपील पर चलाने नहीं होना है। अतः
 कोकिल उक्त पत्रों की उक्त उद्देश्य पत्रावली का अंतर्गत
 विभाग/वही अपीलान्त द्वारा नामांतरकरण लेने का 785-दिनांक

16-8-2012 तथा नामांतरकरण लेने का 3588 दिनांक 31-3-12
 उक्त दो विनय नामांतरकरण लेने का 3588 दिनांक 31-3-12
 कोकिल विनय नामांतर उक्त उद्देश्य विनय अपील पत्र की है। अतः
 उक्त नामांतरकरण विरासत के कोकिल कोकिल उद्देश्य है
 वही अपीलान्त द्वारा एक उद्देश्य पत्र सुबेदा के उद्देश्य
 का पेश विनय है कि एक अपील दो विनय-लाठीखो के
 दो विनय नामांतरकरणों का उद्देश्य के विनय पेश की है

पुश्पिका वनाय समस्त
 नाम न्यायालय, - काठि जिला कलक्टर कोटवली

जो मन्वेकल गयी है। जो कायूनन एर कादेश के बिना
 एक कपीय पेश की जा सकती है। रेल्कोडेंट वरीय ने
 अपने लफ्फिन में R 33 उ 31 व उ 32 का कादेश के
 वनक रेल्कोडेंट दिनांक 3.10.12 के पारित कादेश
 कपीय मन्वेकल गयी होने से कासिज सिगार्ड है इस
 वकत - यन्दि हबयनू पेश किया है। वरीय कपीयान्त
 हाय कपने लफ्फिन में सिटी जका का कायूननी हबयनू
 पेश गयी किया है ऐसी छरत में रेल्कोडेंट उपायान्त
 विभागका उक्त पार्थना का स्वीकार किया जाना उचित
 जसि होला है। युक्ति: कपीयान्त हाय जी बिन्क वाफाह
 करणो एत ओ बिन्क लाडीका के द्वारा पारित कयेरो
 के बिन्क एरु ही कपीय पेश की जाय है जो कायूनन
 एक कादेश के बिना एक कपीय पेश की जा सकती है
 शकलीए उक्त कपीय मन्वेकल गयी है तथा चलेन पोगम
 गयी है। माननीय सायब कण्डल कपने द्वारा R 33
 उ 31 व उ 32 का सुबेडा कौन वनक रेल्कोडेंट के पारित
 कादेश 3.10.12 के द्वारा कपीय कासिज सिगार्ड है।
 कतः रेल्कोडेंट द्वारा उपायान्त विध गयन) उपायान्त दिनांक
 27.5.21 स्वीकार किया जाय कपीयान्त हाय उपायान्त कपि
 जाय कपीय को कासिज सिगार्ड के कादेश उपायान्त
 सिगार्ड है। पगावली पेशान शुमा (होर) नम्बर ले कत
 होय काउ लकमीत शाखीय इजा (हो) निजि लरे इफलाफ
 पुते न्यायालय के पुनः गयन

अति. जिला कलक्टर
 कोटपूतली (जयपुर)